

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ/विधि/उवस/2023-24/ 5946

दिनांक 9-7-24

निमित्त,

श्रीमान रजिस्टार

मा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,

सेंट्रल जोन ब्रान्च,

तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन

अरेरा हिल्स,

भोपाल

विषय:—मा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसीपल बैंच भोपाल में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 96/2023 यादराम बनाम राज0 सरकार के सम्बंध में।

संदर्भ:—मा0 न्यायालय का आदेश दिनांक 21.3.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2024 की अनुपालना में वनविभाग, भरतपुर की ओर से दिनांक 21.03.2024 से दिनांक 04.07.2024 तक बन्धवारैठा एवं उसके बाहर वनक्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन में की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है:—

1. वन विभाग भरतपुर द्वारा बंध बारैठा अभ्यारण एवं उसके बाहर वनक्षेत्र में दिनांक 21.03.2024 से दिनांक 04.07.2024 तक अवैध खनन/निर्गमन में निम्न कार्यवाही की गई है:—

क्र.स.	एफआईआर न. /दिनांक	अभियुक्त का नाम व पते का विवरण	अपराध का विवरण	की गई कार्यवाही विवरण / मुआवजा राशि
1	1922-05 / 01.05.2024	नाम नामालूम	ट्रैक्टर मय कम्प्रेसर द्वारा अवैध खनन कार्य करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
2	1922-06 / 14.05.2024	कल्लन पुत्र अतरी गुर्जर ग्राम परउआ तह. बयाना	ट्रैक्टर मय ट्रौली द्वारा फर्सी (पत्थर) का अवैध खनन कर परिवहन करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
3	1922-07 / 25.05.2024	बल्ला पुत्र श्री भगवान सिंह गुर्जर निवासी गजनुआ तह. बयाना	ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन कार्य करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
4	1922-08 / 25.05.2024	नाम नामालूम	हाईड्रा केन द्वारा अवैध खनन कार्य करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
5	1922-09 / 25.05.2024	नाम नामालूम	कम्प्रेसर मशीन द्वारा अवैध खनन कार्य करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
6	1922-10 / 12.06.2024	कालीचरण सिंह पुत्र रामजीलाल नि. घुसियाना नगला दुल्हे खान खेरागढ (UP)	मोटर साईकिल से जाकर अवैध खनन करना	फैसल जुर्माना राशि 15000

7	1922-11 / 25.06.2024	अखेसिंह पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम नागोरी तह. बसेडी जिला धौलपुर	ट्रैक्टर मय ट्रौली द्वारा पट्टी/चीरी का अवैध खनन कर परिवहन करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
8	1922-12 / 25.06.2024	वीरू सिंह पुत्र गजराज सिंह ग्राम जन्जारीपुरा पुलिसथाना गढी बाजना,	ट्रैक्टर मय ट्रौली द्वारा पट्टी/चीरी का अवैध खनन कर परिवहन करना	अधिहरण की कार्यवाही जारी
9	66/27 दिनांक 01.04.2024	नेतासिंह पुत्र श्री नन्दराम जाति-गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासी- बडौदा तह0 रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	31000
10	66/28 दिनांक 01.04.2024	अनूमसिंह पुत्र श्री रामनिवास निवासी तरबीजपुर पुलिस गढीबाजना थाना बयानाभरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000
11	65/29 दिनांक 01.04.2024	सूरज पुत्र श्री सन्तोष निवासी तरबीजपुर पुलिस गढीबाजना थाना बयानाभरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000 /-
12	66/30 दिनांक 03.04.2024	दयाराम पुत्र श्री हरबीर निवासी नगलातुला पुलिस रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000 /-
13	66/31 दिनांक 10.04.2024	दीपू पुत्र श्री शशि जाति राजपूत 30 वर्ष नि0महलपुर थाना रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000 /-
14	66/32 दिनांक 30.04.2024	विशान सिंह पुत्र श्री गोपाल जाति राजपूत नि0बंशीपहाडपुर पुलिस थाना रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	80000 /-
15	66/33 दिनांक 02.05.2024	बहादुर पुत्र श्री गोरधन जाति कोली नि0 सिधनिया भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	11000 /-
16	66/34 दिनांक 25.05.2024	सियाराम पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति गुर्जर निवासी बरौदा पुलिस थाना रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	31000 /-
17	66/35 दिनांक 28.05.2024	अमित पुत्र श्री धारा जाति गुर्जर निवासी खोहरी पुलिस थाना रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	41000 /-
18	66/36 दिनांक 28.05.2024	दिनेश पुत्र श्री राजेन्द्र जाति गुर्जर निवासी बंशीपहाडपुर पुलिस थाना रूदावल भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	31000 /-
19	68/07 दिनांक 06.06.2024	शिवपाल पुत्र श्री वनवारी लाल जाति बैश्य नि0 सैह कुम्हेर भरतपुर	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन/परिवहन	51000 /-

20	66/37 दिनांक 08.06.2024	रमेश पुत्र श्री बशीधर प्लॉट न 08/341 सेक्टर न0 08 विधाघर नगर जयपुर	वन भूमि में अवैध रूप से डंपिंग डालना	200000/-
21	66/38 दिनांक 08.06.2024	मृगू राज पुत्र श्री संतलाल इलाबाद उत्तर प्रदेश		100000/-
22	66/39 दिनांक 10.06.2024	भगवानसिंह पुत्र श्री विजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर नि0महमदपुरा बयाना	सैन्ड स्टोन का अवैध खनन	60000/-
23	66/40 दिनांक 24.06.2024	दीवान पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति गुर्जर नि0 महमदपुरा पुलिस थाना-रूदावल बयाना	अवैध वन उपज परिवहन	11000/-
24	67/18 दिनांक 26.06.2024	श्रीफल पुत्र श्री मन्नी जाति गुर्जर नि0 समोगर पुलिस थाना- सदर बयाना बयाना	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	125000/-
25	66/41 दिनांक 26.06.2024	केशव पुत्र श्री रामप्रसाद जाति गुर्जर नि0 डुमरियापुलिस थाना- रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	51000/-
26	66/42 दिनांक 26.06.2024	सुगरसिंह पुत्र श्री बन्नी जाति गुर्जर नि0 सिघनिया पुलिस थाना- गढीबाजना	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	51000/-
27	66/43 दिनांक 27.06.2024	कपूर पुत्र श्री रामप्रसाद जाति कुशवाह नि0तिर्घरा पुलिस थाना- रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	31000/-
28	66/44 दिनांक 27.06.2024	बनवारी पुत्र श्री बावलाल जाति कुशवाह नि0 तिर्घरा पुलिस थाना- रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	31000/-
29	66/45 दिनांक 27.06.2024	प्रेमसिंह पुत्र श्री रामबीर जाति रातपूत नि0घाना खेरली पुलिस थाना- रूदावल	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	31000/-
30	67/18 दिनांक 27.06.2024	रामकिशन पुत्र श्री उगना नि0 बंशा पुलिस थाना- कोटडी भीलबाडा	सैन्ड स्टोन का अवैध परिवहन	विभाग में विचाराधीन
		कुल मुआवजा राशि		1026000

2. अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम हेतु लिखित में 24 घण्टे के लिए स्टाफ को मुख्य जगहों पर अवैध खनन की रोकथाम हेतु पाबन्द किया गया है।

3. अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु उक्त वन क्षेत्र में पिछले 02 वर्षों की अवधि में लगभग 03 किमी पक्की दीवार एवं 200 हैक्टेयर प्लान्टेशन कराकर वन क्षेत्र को उक्त गतिविधियों से सुरक्षित किया गया है।
4. भरतपुर जिले में अवैध खनन एवं निर्गमन की प्रभावी रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग एवं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी उपस्थित हुये। जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा सभी विभागों को संयुक्त रूप से कार्यवाही कर अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम के निर्देश दिये गये तथा उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर को संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 12.04.2024 (एनेक्चर-1) एवं जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 13.04.2024 (एनेक्चर-2) की प्रति संलग्न हैं।
5. जिला कलेक्टर भरतपुर के आदेश संख्या दिनांक 13.04.2024 की पालना में उप वन संरक्षक (वन्यजीव) भरतपुर एवं खनि अभियन्ता भरतपुर, सहायक खनि अभियन्ता रूपवास एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी बंध बारैठा अभयारण्य मय स्टॉफ द्वारा दिनांक 17.04.2024 को वन्यजीव बंध बारैठा के अवैध खनन प्रभावित क्षेत्र गढी बाजना एवं दरबराहना क्षेत्र का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर कोई वाहन, मशीन, मजदूर इत्यादि नहीं पाये गये तथा अवैध खनन नहीं पाया गया। विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों एवं लिफ्ट कच्चे रास्तों पर खाई खोदकर रास्ते बंद किये गये है तथा पाया कि उक्त क्षेत्र में काफी समय में अवैध खनन/निर्गमन बंद है।
6. बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु उप वन संरक्षक वन्यजीव, भरतपुर द्वारा आरएसी के जाब्ता हेतु पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4855 दिनांक 22.09.2023, 6276 दिनांक 14.12.2023, 281 दिनांक 23.01.2024, 395 दिनांक 25.01.2024, 1485 दिनांक 12.03.2024, 3488 दिनांक 02.05.2024 द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर के पत्र क्रमांक 9997-10003 दिनांक 17.05.24 से "सी" कम्पनी 14वीं आरएसी की एक प्लाटून दिनांक 17.05.24 को उपलब्ध कराई गई एवं पत्र क्रमांक 4113 द्वारा दिनांक 18.06.2024 द्वारा पुनः आरएसी जाब्ता हेतु पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर को निवेदन किया गया जिसके क्रम में 14वीं आरएसी की एक बटालियन प्लाटून दिनांक 19.06.2024 को उपलब्ध करवाई गई।
7. क्षेत्रीय वन अधिकारी गश्तीदल को क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव बंध बारैठा के साथ सहयोग एवं समन्वय हेतु प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
8. बंध बारैठा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से गश्त की जा रही है एवं अंतिम बार दिनांक 11.06.2024 को संयुक्त रूप से गश्त की गई है।
9. जिला कलेक्टर, भरतपुर के आदेश क्रमांक 47 दिनांक 13.4.2024 की पालना में अधीक्षण खनि अभियन्ता भरतपुर एवं उप वन संरक्षक, भरतपुर तथा दोनों विभागों के अन्य अधिकारियों के साथ बन्धबारैठा अभयारण्य एवं उसके बाहर वनक्षेत्र में अवैध खनन के सम्बन्ध में वनखण्ड बंशीपहाड़पुर में मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कहीं कहीं अवैध खनन के निशानात पाये गये परन्तु मौके पर कहीं भी अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया। कुछ लीज धारकों द्वारा अवैध रूप से सेफटी जोन एवं वनक्षेत्र में डम्पिंग किया जा रहा था। जिस पर कार्यवाही कर एक डम्पर एवं एक

हाइड्रा केन जप्त कर तथा एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की गई। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 8.6.2024 संलग्न है। (एनेक्चर-3)

10. वनक्षेत्र भरतपुर बंशीपहाडपुर A & B में अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम हेतु कार्यालय पत्रांक 4785 दिनांक 11.6.24 (एनेक्चर-4) द्वारा पुलिस अधिक्षक भरतपुर को निवेदन किया गया है। जिसके क्रम में पुलिस अधिक्षक भरतपुर द्वारा उनके पत्रांक 11982-87 दिनांक 5.7.24 (एनेक्चर-5) द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून व्यवस्था, राजस्थान जयपुर को RAC जाप्ता स्थायी रूप से आवंटित करने हेतु निवेदन किया गया है।

11. माइनिंग विभाग भरतपुर द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट संलग्न है। (एनेक्चर-6)

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय

(जी0के0वर्मा)

उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक एफ () विधि/उ.व.स./2024/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक भरतपुर।
2. जिला कलेक्टर भरतपुर
3. खनि अभियन्ता भरतपुर
4. सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास

दिनांक

उप वन संरक्षक

भरतपुर



कार्यालय पालघर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मरतपुर

राज्य सरकार के निर्देशों के तहत में मरतपुर जिले में अवैध खनन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय कमेटी की आयोजित बैठक दिनांक 12.04.2024 का कार्यवाही विवरण

मरतपुर जिले में अवैध खनन एवं निर्माण की प्रभावी रोकथाम हेतु अघोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में प्रपत्र "अ" के अनुसार अधिकारीगण उपस्थित आये।

सर्वप्रथम जिले में संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संचालित विविध गतिविधियों की समीक्षा/चर्चा करते हुये अवैध खनन की रोकथाम हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान करते हुये उनकी कठोरता से पालना की अपेक्षा की गई:-

क्र. सं.	घर्षा के बिन्दु	निर्णय	पालना हेतु जिम्मेदार अधिकारी
1	माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ में	<ul style="list-style-type: none"> माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ में अधीक्षण खनि अभियंता मरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण बयाना तहसील के वन क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 22.04.2024 है। इसलिये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उप वन संरक्षक(वन्य जीव) मरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता मरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर दिनांक 15.04.2024 तक वांछित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उप वन संरक्षक(वन्य जीव) मरतपुर सम्बंधित विभागों से वांछित पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण में नियत दिनांक को प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। पालना रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अघोहस्ताक्षरकर्ता प्रस्तुत करेंगे। यदि इस कार्य पुलिस बल इत्यादि आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक से समन्वय कर पुलिस बल 	<p>जिला पुलिस अधीक्षक मरतपुर, उप वन संरक्षक(वन्य जीव) मरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता मरतपुर</p>

Signature valid

Digitally signed by Anil Yadav
Deputy Commissioner & District

	<p>पृथक से जारी किये जायें।</p> <ul style="list-style-type: none"> माननीय अधिकरण द्वारा श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान एवं मुख्य वन संरक्षक वन विभाग को दो उच्च विभागीय उच्च अधिकारियों को नियुक्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो उक्त प्रकरण में जांच, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही, अवैध खनन का नियंत्रण एवं चैक तथा अवैध खनन से राज्य सरकार को हुयी नुकसानी की वसूली की कार्यवाही करेंगे। अतः इस सम्बंध में माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर को पत्र लिखे जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बंध में उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर को माननीय अधिकरण के आदेश की पालना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से सम्पर्क/पत्राचार कर माननीय मुख्य सचिव महोदय से समन्वय कराते हुये निर्देशानुसार दो विभागीय उच्चाधिकारियों को नामित कराने हेतु निर्देशित किया गया। 	<p>उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर,</p>
<p>2 माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 98/2023 (सी जैड) यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना के संदर्भ में।</p>	<ul style="list-style-type: none"> माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओए 96/2023 (सी जैड) यादराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना के संदर्भ में अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण रूपवास तहसील के बंशीपहाडपुर क्षेत्र के वन क्षेत्र में सैण्ड स्टोन की अवैध एवं अनाधिकृत खनन गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 11.07.2024 है। प्रकरण में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर वांछित पालना रिपोर्ट दिनांक 14.05.2024 तक आवश्यक रूप से तैयार करेंगे साथ ही उप वन संरक्षक (वन्य जीव) भरतपुर से सम्बंधित रिपोर्टों 	<p>जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर</p>

Signature valid

Signed by A. Yadav

भरतपुर किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा भरतपुर रिपोर्ट की एक प्रति आगरेगम रूप से अयोधराचार्यकर्ता भरतपुर करेंगे। साथ ही यदि प्रस कार्य हेतु पुलिस बल प्रत्यागि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीकार भरतपुर से रागगम कर पुलिस बल प्राप्त करें। प्रकरण में कगोटी गतग आगेश पृथक से जारी किये जावें।

3 माननीय हरित प्राधिकरण में विचारणीय उपाय दोनों प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना बाबत विभागीय अधिकारियों को निर्देश

- पुलिस प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम से सम्बंधित है प्ररालिये प्रराकी रोकथाम का मुख्य यायिर्य वन विभाग का है फिर भी वन विभाग भरतपुर एवं खनिज विभाग भरतपुर संयुक्त रूप से चैकपोस्ट स्थापित करें तथा अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाये जावें ताकि वन भूमि से अथवा अन्य स्थानों से अवैध खनन के परिवहन पर प्रमावी अंकुश लग सके।

- जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया गया कि वे विभागीय अधिकारियों को पर्याप्त पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित करें तथा अवैध खनन में लिप्त वाहनों का चिन्हीकरण करें तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। ओवर लोडिंग वाहनों एवं विना नम्बरों के संचालित वाहनों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे। ट्रेक्टरों के साथ ट्राली पर आर०सी० नम्बर लिखवाने हेतु सम्बंधितों को पाबंद करें।

- पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि वन एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के सम्बंध में चैक पोस्ट स्थापित किये जाने बाबत आर०ए०सी० का नियमानुसार जाब्ता उपलब्ध करावें तथा अवैध खनन/निर्गमन सम्बंधी प्रकरणों में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें ताकि अवैध खननकर्ताओं में भय व्याप्त हो सके।

- चूंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन से सम्बंधित है इसलिये माननीय हरित प्राधिकरण में जो प्रस्तुत किया जावेगा वह वन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। इस सम्बंधित

जिला पुलिस अधीकार भरतपुर.

उप वन संरक्ष(वन्य जीव) भरतपुर.

अवीक्षण खनि अभियंता भरतपुर

जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर

Signature valid

Digitally signed by Anil Yadav
Reason: Approved

Date: 2024.04.19.19:41:58 IST

	<p>प्रस्तुत किया जाया सुनिश्चित करेंगे तथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से उपोत्तरताकारकर्ता प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यदि वन कार्य हेतु पुलिस बल पर्याप्त नहीं आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीनता भरतपुर से सामान्य कर पुलिस बल प्राप्त करें। प्रकरण में कगोटी गठन आगेश पृथक से जारी किये जायें।</p>	
<p>3 माननीय हरित प्राधिकरण में विचारणीय उच्च दोनों प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना बाबत विभागीय अधिकारियों को निर्देश</p>	<ul style="list-style-type: none"> • चुंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन की शोकथाम से सम्बंधित है इसलिए प्रयागी शोकथाम का मुख्य वायित्त वन विभाग का है फिर भी वन विभाग भरतपुर एवं खनिज विभाग भरतपुर संयुक्त रूप से चैकपोस्ट स्थापित करें तथा अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीपी कैमरे लगाये जायें ताकि वन भूमि से अथवा अन्य स्थानों से अवैध खनन के परिवहन पर प्रयागी अंकुश लग सके। • जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया गया कि वे विभागीय अधिकारियों को पर्याप्त पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित करें तथा अवैध खनन में लिप्त वाहनों का चिन्हीकरण करें तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। ओवर लोडिंग वाहनों एवं बिना नम्बरों के संचालित वाहनों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे। ट्रेक्टरों के साथ ट्रौली पर आर०सी० नम्बर लिखवाने हेतु सम्बंधितों को पाबंद करें। • पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि वन एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन की शोकथाम के सम्बंध में चैक पोस्ट स्थापित किये जाने बाबत आर०सी० का नियमानुसार जाब्ता उपलब्ध करावें तथा अवैध खनन/निर्गमन सम्बंधी प्रकरणों में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें ताकि अवैध खननकर्ताओं में भय व्याप्त हो सके। • चुंकि प्रकरण वन्य क्षेत्र में अवैध खनन से सम्बंधित है इसलिए माननीय हरित प्राधिकरण में जो प्रस्तुत किया जावेगा वह वन विभाग प्रस्तुत किया जावेगा। इस सम्बंध में 	<p>जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर, उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर, अधीक्षण खनि अमियंता भरतपुर जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर</p>

Signature valid

Signed by Anil Yadav
Signature Collection & District
Date: 2024.04.19:41:58 IST

Reason: Approved

		<p>वन विभाग सम्बंधित अन्य विभागों से समन्वय कर वांछित रिपोर्ट प्राप्त करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> लीज धारकों द्वारा टीटीजेड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही विद्ये जाने हेतु प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भरतपुर को निर्देशित किया गया। 	
4	समन्वयन व जनसूचना	<p>समस्त सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये कि अवैध खनन की प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बंधित विभागों से आपस में समन्वय बनाया जावे तथा की गई कार्यवाही बाबत प्रेस नोट जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।</p>	<p>पुलिस अधीक्षक भरतपुर / उप वन संरक्षक भरतपुर / अधीक्षण खनिज अभियंता, खनिज अभियंता भरतपुर / जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर</p> <p>उप निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग भरतपुर</p>

उत्तः उक्त दोनों प्रकरणों में वन विभाग के द्वारा प्रभारी अधिकारी केस की नियुक्ति करावें एवं सम्बंधित विभागों से प्रगति/पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण के समक्ष पेशवी/जबाब प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही करें।

बैठक में उपस्थित सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को हिदायत भी दी गई कि वे प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों से पूर्ण सहयोग लेकर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमित ढंग से प्रभावी कार्यवाही करें।

अन्त में बैठक सघन्यवाद समाप्त हुयी।

जिला कलक्टर

भरतपुर

दिनांक: 13/4/2024

क्रमांक: राजस्व/12/11(2)2024/ 1790-1831
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
- श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग राज० जयपुर।
- श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग राज० जयपुर।
- श्रीमान संभागीय आयुक्त, संभाग भरतपुर।
- निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर
- जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
- उप वन संरक्षक भरतपुर/उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर
- अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर/अधीक्षण खनिज अभियन्ता सतर्कता भरतपुर
- खनिज अभियन्ता, भरतपुर/सहायक खनि अभियन्ता रूपवास
- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
- क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भरतपुर।
- उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार समस्त
- सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर

RajKaj Ref
6613187

Signature valid

Digitally signed by  Pradeep Yadav
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.04.13 09:41:58 IST

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर।

क्रमांक:-

दिनांक:-

उपस्थिति प्रमाण पत्र

राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम बाबत गठित जिला स्तरीय एस. आई.टी. कमेटी की मीटिंग दिनांक 12.04.2024 को प्रातः 11:00 बजे जिला कलेक्टर समागार, भरतपुर में आयोजित की गई, जिसमें एस.आई.टी. कमेटी के निम्न सदस्य उपस्थित हुये :-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/पदनाम	विभाग	मोबाइल नम्बर
1	Dr Anand		
2	Shri. Yadav	DM Bharatpur	9996237788
3	G K Verma, DCF WL Bharatpur	ADM city	7697421555
4	B.L Verma Aet w.L Bharatpur	Bharatpur	9414341007
5	Dalit Kumar Gupta	Transport	6350334882
6	Umesh K.	RPCR,	9829281332
7	Rajendra Singh	Mines	9809388226
8	Havish Goyal	Mines	774261797
9	Manoj Kr. Tanwar	Mines	9414332825
10	Dr. Lal Chand Kaur	AMER, Mines	9828116972
		Add SP RCR	9414073562



कार्यालय कलकटर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांक राजस्व/12/11(2)2024/48

दिनांक 13/4/2024

आदेश

माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेंट्रल जोन) गोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओर 07/2024 (सी जैड) अशोक शर्मा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2024 की पालना के संदर्भ में दिनांक 12.04.2024 को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रकरण वन क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से सम्बंधित है साथ ही माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 22.04.2024 है। इसलिये निम्न अधिकारियों को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना बामत वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु नामित किया जाता है

1. उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर।
2. अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर।

उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर एवं अधीक्षण खनि अभियंता भरतपुर संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर वांछित पालना रिपोर्ट दिनांक 15.04.2024 तक तैयार करेंगे तथा उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर सम्बंधित विभागों से भी पालना रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय अधिकरण के समक्ष नियत दिनांक को प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तथा प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति आवश्यक रूप से अघोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यदि इस कार्य हेतु पुलिस बल इत्यादि की आवश्यकता हो तो जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से समन्वय कर पुलिस बल प्राप्त कर सकते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर

क्रमांक: राजस्व/12/11(2)2024/1841-1849

दिनांक: 13/4/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर
2. उप वन संरक्षक भरतपुर/उप वन संरक्षक(वन्य जीव) भरतपुर
3. उपखण्ड अधिकारी बयाना/रूपवास
4. अधीक्षण खनि अभियंता, भरतपुर
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भरतपुर।

RajKaj Ref
6613251



Signature valid

Digitally signed by Anil Yadav
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.04.13 09:41:57 IST

राजस्थान सरकार

संयुक्त जांच रिपोर्ट

आज दिनांक 8/06/2024 को निम्न हस्ताक्षरकर्ता श्रीमान् श्रीमान् जलेश्वर भरतपुर के आदेश क्रमांक राजस्थान/12/11(2) 2024/47 दिनांक 13.04.2024 की पालना में माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (सेन्ट्रल जैव) भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या 96/2023 (2) यादराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना में ग्राम वंशरीपहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर में अवैध खनन/निर्माण की जांच वास्तु मोफे पर पहुंचें। उक्त क्षेत्र में - खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 41 प्लॉट A व B प्लॉट में कुल क्षेत्रफल 398.0085 हेक्टेयर के डोलेरियर क्वैरी गेप थे जो ^{प्रावसीय} ~~अवैध~~ हैं। मोफे पर सर्वेक्षण प्लॉट - संख्या 9 को देखा गया तो उनके द्वारा मलवे की उम्पिंग आंशिक रूप से वनभूमि में किया जाना पाया गया तथा मोफे पर उम्पिंग हेतु प्रयोग में लिये जा रहे हैं लुम्पर RJ/46P/214 है। तथा लुम्पर क्रैन सर्वेक्षण इंजन नम्बर E 3676768 को मोफे पर वन विभाग द्वारा फोरेंस लम्पर में जब्त कर पुराना थाना रुडावल्य की - स्थापना से वनपाल्य आका वंशरीपहाडपुर ले जाया गया तथा वन विभाग द्वारा नियमनुसार कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् संयुक्त टीम द्वारा ग्राम वंशरीपहाडपुर के वन क्षेत्र को देखा गया तो पाया की वनभूमि में खनिज सेक्टरों के अवैध खनन के निशानाह पाये गये तथा अधिकारी रातो पर अवैध खनन कर्ताओं द्वारा क्वैर डम्प। क्वैर डम्प से पिटों के अन्दर जाने के

[Signature]
SME, Bharatpur
जांचकर्ता

[Signature]
R.O
Banyana
जांचकर्ता
(9-5)

[Signature]
SME
जांचकर्ता

[Signature]
SME, Bharatpur

08/06/2024
SME, Bharatpur

[Signature]
SME, Bharatpur

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ () / विविध / उवस / 24-25 / 4785

दिनांक 11/6/24

निमित्त

श्रीमान पुलिस अधीक्षक
भरतपुर

विषय:- अवैध खनन की पूर्ण रोकथाम हेतु आर.ए.सी. जाप्ता उपलब्ध करवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस वनमण्डल की रेंज बयाना अन्तर्गत वनखण्ड बंशी पहाडपुर ए एवं बशीपहाडपुर बी सैण्ड स्टोन के अवैध खनन की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। विभागीय स्टाफ द्वारा नियमित रूप से गस्त कर अवैध खनन की रोकथाम की जा रही है। अवैध खनन के रास्तो पर खाईयां भी खुदवाई जाती है, परन्तु अवैध खननकर्ताओं द्वारा उन्हें पुनः भर दिया जाता है। अवैध खननकर्ताओं के साथ कुछ अपराधी किरम के व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जो हथियारों से लैस भी होते हैं, ऐसी स्थिति में रात के समय गस्त कर अवैध खनन रोकना तथा अवैध खननकर्ताओं को एवं प्रयुक्त वाहनों को जप्त कर लाना अत्यन्त मुश्किल एवं खतरनाक होता है। इसके अतिरिक्त अवैध खननकर्ता विभागीय गस्त की जानकारी होने पर तत्काल रास्तों में सैण्ड स्टोन के बड़े-बड़े ब्लॉक डाल कर रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पुलिस को साथ लेकर भी गस्त की जाती है, परन्तु प्रतिदिन पुलिस सहायता मिलना भी संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में स्थायी रूप से आर.ए.सी. जाप्ता का कैम्प करना आवश्यक है, ताकि इस क्षेत्र से अवैध खनन गतिविधियों पर पूर्णरूप से विराम लगाया जा सके।

अतः निवेदन है कि अवैध खनन रोकथाम हेतु आर.ए.सी. जाप्ता (40 जवान) उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

भवदीय

(जी.के.वर्मा)

उप वन संरक्षक

भरतपुर

दिनांक 11/6/24

क्रमांक एफ () / विविध / उवस / 24-25 / 4785-86

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. जिला कलेक्टर, भरतपुर।

(जी.के.वर्मा)

उप वन संरक्षक

भरतपुर

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर
 क्रमांक :- 11982-87 दिनांक :- 05/07/24

श्रीमान् अति० महानिदेशक पुलिस,
 प्रशासन, कानून-व्यवस्था,
 राज० जयपुर।

विषय :- अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु जावा उपलब्ध कराने बाबत।
 प्रसंग :- मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के कार्यालय पत्रांक 3946-59 दि० 02.07.24 एवं
 महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर के कार्यालय का पत्रांक 616-17 दि०
 04.07.24 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि वनक्षेत्र अवैध खनन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। वन क्षेत्र में स्थानीय आदतन अवैध खननकर्ताओं द्वारा देर-सवेर अवैध खनन किया जाता है तथा पकड़े जाने पर स्थानीयजन के सामूहिक रूप से विरोध करने एवं वन अपराध में लिप्त वाहन को नाका/रेंज तक नहीं लाने दिया जाता है। वन क्षेत्रों में स्थानीय आदतन अपराधियों के अतिरिक्त खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं हाने के कारण वनकर्मियों का मनोबल गिरता है। जिसके लिए आर०ए०सी० का जाप्ता स्थायी रूप से आवंटित कराने हेतु निवेदन किया है।

उक्त पत्र मूल ही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मृदुल कच्छावा)
 जिला पुलिस अधीक्षक
 भरतपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स राज० जयपुर।
2. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं सतर्कता, राज० जयपुर।
3. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, भरतपुर रेंज भरतपुर।
4. जिला कलक्टर भरतपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक भरतपुर।

जिला पुलिस अधीक्षक
 भरतपुर

विवरण



श्रीमान् उप वन संरक्षक
वन विभाग, जिला-भरतपुर।

विषय:- माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओ.ए.
96/2023 यादराम बनाम राजस्थान सरकार में आगामी तिथि दिनांक 11.07.2024
एवं दिनांक 21.03.2024 में पारित निर्णय पालना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में दर्ज प्रकरण संख्या ओ.ए. 96/2023 यादराम बनाम राजस्थान सरकार बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल के समक्ष उक्त प्रकरण में आगामी तिथि दिनांक 11.07.2024 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। बंशीपहाडपुर क्षेत्र मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य व वन क्षेत्र है तथा माननीय एन.जी.टी. में दर्ज उपरोक्त प्रकरण वन क्षेत्र में अवैध खनन से सम्बन्धित है जिसके सन्दर्भ में श्रीमान् जिला कलेक्टर के प्रासंगिक आदेश दिनांक 25.06.2024 से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना बाबत् वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु आप श्रीमान् उप वन संरक्षक भरतपुर को नामित किया गया है।

श्रीमान् से निवेदन है कि इस विभाग द्वारा उपखण्ड स्तर पर गठित एस.आई.टी. कमेटी व स्वयं के स्तर से बंशीपहाडपुर क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम के विरुद्ध निरन्तर चैकिंग कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बंशीपहाडपुर क्षेत्र में इस कार्यालय द्वारा बंशीपहाडपुर क्षेत्र में बोर्डर होमगार्ड की एक संयुक्त चैक पोस्ट स्थापित की गई है (प्रति संलग्न है) जिससे उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन पर अंकुश लगा है। साथ ही श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, भरतपुर के आदेशानुसार बंशीपहाडपुर क्षेत्र में ए ब्लॉक में बन्द पड़े हुये खनन पट्टा संख्या 80/1980 श्री बेताल सिंह में आरएसी के जवान अस्थाई रूप से नियोजित किये गये तथा उक्त क्षेत्र में दिनांक 01.07.2024 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी रूपवास, श्रीमान् पुलिस उप अधीक्षण रूपवास मय जाब्ता एवं इस कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से बंशीपहाडपुर क्षेत्र में चैकिंग की गई। वक्त चैकिंग अवैध खनन कार्य बन्द पाया गया तथा स्वीकृत खनन पट्टों में खनन कार्य चालू पाया गया। (प्रति संलग्न)

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय स्तर से भी अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम बाबत् निरन्तर चैकिंग कर निगरानी रखी जा रही है। दिनांक 09.03.2024, 22.03.2024, 23.03.2024, 26.03.2024, 27.03.2024, 02.04.2024, 07.04.2024, 15.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024, 30.04.2024, 02.05.2024, 05.5.2024, 08.05.2024, 16.05.2024, 08.06.2024, 12.06.2024 की मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। दिनांक 25.04.2024 को उक्त क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन का खनन पट्टा संख्या 787/03 जो वर्तमान में पर्यावरण अनुमति के अभाव में बन्द है, में अवैध खनन पाया जाने पर मौका पंचनामा बनाया जाकर 985.6 टन की दस गुणा शास्ति राशि रूपये 23,65,440/- एवं कम्पाउण्ड राशि रूपये 20,000/- कुल शास्ति राशि रूपये 23,85,440/- की मांग कायम की गई है।


मिथि
8/7/24

उक्त क्षेत्र में 21.03.2024 से आज दिनांक तक अवैध निर्गमन के विरुद्ध निरन्तर चैकिंग कर सख्त कार्यवाही की गई है जिसका विवरण निम्न है :-

क. सं.	अवधि	अवैध खनन के प्रकरण	अवैध निर्गमन के प्रकरण	कुल प्रकरण	वसूल की गई राशि (लाखों में)	दर्ज एफ. आई. आर.
1	21.03.2024 से 05.07.2024 तक	2	25	27	7.46	7

अतः श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के प्रासंगिक पत्र की पालना में इस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट को माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल में अग्रिम तिथि दिनांक 11.07.2024 को राज्य सरकार की ओर से पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(मन्नेज कुमार तेंवर)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला, भरतपुर।

क्रमांक:-समसंख्यक/ 1501-1506

दिनांक:-05.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर, भरतपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा जोन कोटा।
4. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भरतपुर-वृत्त, भरतपुर।
5. श्रीमान् क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर।
6. श्रीमान् खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भरतपुर।


सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांक :- सरखअ/रूप/भरत/अनाधिकृत /2024/ 474
श्रीमान उपवन संरक्षक
भरतपुर।

दिनांक :- 09/05/2024

विषय :- ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर क्षेत्र में अवैध खनन रुकवाने बावत्।

प्रसंग :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल में प्रकरण संख्या 96/2023 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल में प्रकरण संख्या 96/2023 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.03.2024 पारित किया गया है। (प्रति संलग्न) उक्त प्रकरण मुख्यतः ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर के वन क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन के अवैध खनन से सम्बन्धित है। चूंकि उक्त प्रकरण में मुख्यतः वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित की जानी है। तथा माननीय मुख्य सचिव के परिपत्र दिनांक 09.02.2012 तथा 05.07.2021 (प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए सम्बन्धित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उपवन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेदार रहेंगे। (प्रति संलग्न)

अतः निवेदन है कि उक्त परिपत्रों के अनुसार वन क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम किया जाना सुनिश्चित करावे। इस कार्यालय से कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो तो कृपया अवगत कराये। यह विभाग अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

ज्ञात रहे उक्त प्रकरण में अग्रिम तिथी 11.07.2024 है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय ।

(मनोज कुमार तंवर)

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

दिनांक :-

09/05/2024

क्रमांक :- संमसंख्यक/ 475-479

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर, भरतपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर वृत्त भरतपुर।
4. श्रीमान खनि अभियन्ता, भरतपुर।
5. श्रीमान क्षेत्रीय वन अधिकारी, रूपवास।

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

NPT
11/3/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता
रूपवाण

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/03/2024 को पुलिस थानाधिकारी, कश्वा
की सूचना पर वशी पहाडपुर सेक्टर में DTA टीम मालपुर
के साथ संयुक्त रूप से भूवेध लगन/निर्गमन के
विषय औचक चेकिंग की गई जहाँ पर निकल चामड
माला मन्दिर दुमवा मोड़ के पास भूवेध लगन/निर्गमन
घाटा जाने पर संयुक्त टीम द्वारा 1 LPT मशीन, 1 ड्रिल
दो हाइला डम्पर व एक ड्रिफ्ट मम पम्प सेट (पानी वाला) को
अवल बाँका निम्न अकार पुलिस थाना सहायक के कर्तव्य
माने वाली पुलिस चौकी - बन्द छोड़ा पर सुरक्षा खज
किया गया। पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देशों की
पालना में पुलिस थानाधिकारी द्वारा पुलिस की सफाई से
उक्त वाहनों के मालिक/चालक/आपरेटर व अन्य भूवेध
लगन लगन कर्मियों के विषय FIR no - 88/2024 दर्ज
की गई जवहा लाग विभाग के प्रथम से मौका पंचनाम
कार्यवाही हेतु प्रथम से लिया गया।

मौका रिपोर्ट मौके पर बनाई जाकर हस्ताक्षर
किये गये।


(निर्देश चौकी)
SMF I


(वीरेंद्र कुमार)
SMF II
Asme office roopwa

राजधानी सरकार

कार्यालय. सहायक रवान. अभियन्ता कपतास भक्तपुर

मोका रिपोर्ट

आज दिनांक 22/03/2024 को कार्यालय पत्रों की पालन में मय सकारी वाहन, कोडिड डोम गार्ड जाबैके के निम्न ग्राहक चरंसीपहाड पुर व निरोध क्षेत्र में लगायित अर्केध खण्ड। निगीमण के पुपुमर किये जाने वाले राप्ती पर -वेकिंग डिग्री कोड वाहन अर्केध खण्ड निगीमण। खनर के लिए वही पाया गया एव खनन पर म लाला अउ/०९ के पितर लयापण हेतु परेधली को मोठे पर बुलाया गया व कार्यालय से परफ निवण प्राधि अडाम पितर सिहित किये गये। तथा परेधली को परके पितर निपलाउमर बनये हेतु सिडीरीर किये गया।

NCT
22/03/24


(वीरकुमार)
MF II


(बीम सिंह-वेक्की)
SMF I

N 57
28/3/24

राजस्थान सरकार
कार्मालय सहायक जनि अभियन्ता, रूपवाक
समुह मोक्या रिपोर्ट

रूपवाक आज दिनांक 23/03/2024 को सहायक जनि अभियन्ता के आदेशानुसार, बंशीपहाडपुर सेत में अवेधलनन/निर्गमन की शिकायत पर उपवन संरक्षक, भरतपुर सेलीय वन अधिकारी सच कारिधि व जवन विभाग के कारिधि मय आवले के साथ संयुक्त रूप जे बंशीपहाडपुर के B-Block में औचक चेकिंग की गई वरत चेकिंग Diverision (वन विभाग के) हेतु प्रतावित खनन पेटे में कोई मशीनी/वाहन/लकड़ मजदूर/लकड़/निर्गमन में लिप्त नही पाये गये। पट्टे खनन पेटे में लकड़ के लजा मिशानात पाये गये। जिन पर DFO, भरतपुर के निर्देशानुसार वन विभाग के कारिधि डाप अवेध लकड़ पेटे को जाने वाले टाण्डों को कखाय व अवरुद्ध कखाय गया साथ ही DFO साथ डाप वन विभाग के अधिकारी/ कारिधि को हिदायत दी गई कि वे वन विभाग के अर्तगत आने वाली भूमि में अवेधलनन/निर्गमन न हो ये सुनिश्च्य सुनिश्चित को व सेत में अवेध लकड़/निर्गमन न हो इत आवत नियमित चेकिंग करते रहे। खसम साथ ही जवन विभाग की भावाश्यकत होने पर अगे समय-2 पर सहयोग लिभा आकर अवेधलनन/निर्गमन के विलट प्रभावी कारिधि को।


(M. H. चौधरी)
SMFI


(पीके कुमार)
MF II
Amrauthe Raopur

राजस्थान सरकार

कार्यालय - सहायक स्वामी - अग्निपन्ना संपत्तियां अजमेर

मौका रिपोर्ट

WCT
26/3/24

आज दिनांक 26/03/2024 को कार्यालय पत्रों की पालना में मिली ग्राहक बंशीपहाड पट - महलपुर-पूरुवा तहसील कडवात संपत्तियों में अर्बेध खनन। निर्माण के विरुद्ध - यैमिं घण (लष्करी) बरह व वीडर होम गार्ड के सी जर्ई। व होउ में स्वामी सेड होउ के प्रभाव शाली खनन परये के क्षान-पात सम्भावित अर्बेध खनन स्थलो को डेरवा गया। मोने पर अर्बेध खनन बन्ड फायु गण व कोरी नष्ट करी। नजर रही फाये जाये। मोने पर उपस्थित जामीनो व आय को हिसाबत डी जर्ई की होउ में अर्बेध खनन नहीं किया जावे। यदि कोरी व्याप्ती। नष्टीग अर्बेध खनन के लिए पार्ई गई वर। उमसे विरुद्ध नियमावली कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात सापबेई नामे Block B में पिलर्स सिद्धि कर पिलर्स बनवाने की कार्यवाही करवाई गई।


(नीरंज कुमार)
MF-II


(श्रीमति S. M. Singh)
SMFI

NCT
28/3/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय - स्थापक स्वामी आश्रमिता रूपवास
मौजा दिवारी

आज दिनांक 27/03/2024 को कार्यालय पट्टो की पालना में विकर ग्राम वस्ति पहाड घुल ब्लॉक नर्सिंग के आस-पास लकड़ी वाहन घप कोर्डर होमगैड के चेंकिंग की गई। जोके वा कोर्ड वाहन/घड़ीकी मजदूर इत्यादी अवैध खनन/निर्माण में लिप्त रही पाये गये तथा दिनांक 23/03/2024 को DFO तहसील के साथ संयुक्त चेंकिंग के दौरान Block B में अवैध खनन/निर्माण में प्रयुक्त करवाये गये साफ़री का पत्र: डेखा गया जो घप स्थिति में अवैध पाये गये जिससे अवैध खनन/निर्माण पर अंकुश लगा हुआ है।


(विरेंद्र कुमार)
MFI


(अनिल सिंह चौधरी)
SMP I

नए
2/4/24


राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक वनि अधिकारी, रूपवाण
मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 02/04/2024 को सहायक वनि अधिकारी, रूपवाण के अंग्रेजाबाद निकल ग्राम - वंशीपहाड पुर, तहसील - रूपवाण, जिला - भरतपुर में उष्यवर्जन वाउण्ट्री के पिलरों का चि-हीकरण का कार्य क्रिय गमा शुभम वंशीपहाड पुर सेल में भवेव लन्न/निगम के विरु ओचक चैकिंग की गई जहाँ पर चैकिंग के दौरान भवेव लन्न/निगम नही पाया गया।

रिपोर्ट मौके पर कनार्त जाका दस्तावा क्रिये गये,


(वीटु कुमा) MFI

Amc office, Roopwas


(भीम सिंह चौधरी)

SMFI
Amc office, Roopwas


NCT
9/4/24

राजस्थान सरकार
कार्यालय लघुपत्रक लनि अभियन्ता, रूपवास
मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 03/04/2024 को कार्यालय के भावियों के कृम में निकल ग्राम- वंगीपहाडपुर के A block व B-Block में खनन पट्टों के आस-पास सम्भावित भवेद्य खनन स्थलों का विभागीय टीम मय बार्डर होमगार्डों के औचक निरीक्षण किया गया जहां पर वक्त निरीक्षण ^{भवेद्य} खनन स्थलों पर कोई मशीनी/वाहन/खनन मजदूर भवेद्य खनन/निर्गमन कार्य में लिप्त नहीं पाये गये। खतपश्चात डार्पवर्जन सेल के पिलरों के चिन्हीकरण कर पक्के पिलर बनवाने हेतु कहा गया।

रिपोर्ट मौके पर बनारि जाकर हजात किसे गये।


03/04/24
(वीकेड कुमार)
Ame officer
Roopwas


(मीम मिह चौधरी)
SMFI
Ame officer
Roopwas

NPT
16/4/24

राजस्थान लष्कर
कार्यालय लखनऊ बनि अग्निपन्ना, रूपवाज
मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 15/04/2024 को कार्यालय के
घरों की प्रालना में निकट आग- वसीपहाडपुर, तह-
रूपवाज, जिला- अजमेर के B-block में डायवर्जन
सेल के पिलरों के सत्यापन का कार्य किया गया।

तत्पश्चात लष्करी वाहन मय वार्ड होमगार्डों
के साथ दृक्वा मोड के आस-पास डायवर्टेड सेल
व वनश्रमि के सम्भावित अवैध लक्षण स्थलों का
मौका देखा गया। मौचक निरीक्षण किया जहाँ पर
मौके पर कोई वाहन/मशीनरी/वनमजदर अवैध लक/निर्गम
में लिप्त नहीं पाये गये। परन्तु अवैध लक्षण स्थलों पर
लक्षण के निशानात पाये गये। आस-पास के ग्रामीणों से
प्रस्ताव की गई तो उनके द्वारा कहा गया शक्ति में चेटी-
दुके, प्रशासन की टैकी कर अवैध लक कार्य होना है।

उक्त सम्भावित अवैध लक्षण स्थलों के रास्ते
दुर्गम होने के कारण लष्करी वाहन आतानी से पड़च नहीं पाता है
उक्त सेल उत्तर-पूरुब सीमा के लगभग होने के अवैध लक
मौका पाकर UP सीमा में भाग जाते हैं। उक्त सेल लखनऊ सील है
क्योंकि पूर्व में विभाग आप कर्मचारी के दोपन डेकरों द्वारा
अप्रिय धरना व विभाग की टीम पर ली जा चुकी है।

अतः उक्त सेल में अवैध लक/निर्गम पर
पूर्ण संकुच लग लके इत हेतु दृक्वा मोड के आस-पास
अल्पर पुलिस चौकी। अल्पर RAC चेक पोस्ट लगाकर जाय
वितरित अवैध लक कर्मीओं में समय ल्याप्त होगा व
अवैध लक/निर्गम पर संकुच लग लके।

रिपोर्ट मौके पर ब-मार्त जाकर दस्तावा

किये गये।


(बिनामिह चौकी)
SMFI


(वीरेंद्र कुमार)
MF I

157
26/4/24

राजस्थान सरकार
सहायक
कामलिय, वनि अभियन्ता, रुपवात
मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 25/04/2024 को सहायक वनि अभियन्ता, रुपवात के आदेशानुसार निकट सड़क- पश्चिम दिशा में वन- रुपवात, जिला- भारतपुर में वन विभाग के जम्प प्लान रूप में Divergent boundary के पिलों के लक्ष्य की कार्यवाही के दौरान ~~class~~ B block में स्थित ~~class~~ 74 के पास इट के वनन कार्य होता दिखार दिया जिसके मोके पर पहुँचकर ऑन्च की गई तो MLN0-787/03 में वर्तमान में विस्थापित वनन/निर्गमन कार्य की विभाग द्वारा अनुमति दी हुई नहीं पाये जाने पर मोके पर कार्यवाही करते हुये मौका पंचनाता बचाय जाकर अग्रिम कार्यवाही की गई। मौका पंचनाता / फर्जवती प्रक के तैयार की गई।

किये गये।

मौका रिपोर्ट मोके पर बनारत जाकर दस्तावेज

W/E
(कामलिय-पंचवती)
SMFI

Y. S. S.
(वीरेंद्र कुमार)
24
MFII

N 17
30/4/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक वन अधिकारी, रुपवाण
संयुक्त मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 30/04/2024 को सहायक वन अधिकारी के कार्यालय निकट ग्राम - वशीपट्टापुर के A-block में सेवीय वन अधिकारी, कमाना मय कारिडि, वन विभाग के ज्वेण्ट व वन विभाग, रुपवाण द्वारा Divergence क्षेत्र के पिलरों के लक्षण का कार्यालय जा रहा था जहाँ पर एक इन्टर मय कम्प्रेसर के लक्षण में लिप्त पाया जाने पर संयुक्त टीम द्वारा जाँच की गई तो कम्प्रेसर-इन्टर वन विभाग के क्षमि में लक्षण निर्मित में लिप्त पाया जाने पर सेवीय वन अधिकारी द्वारा इन्टर - कम्प्रेसर को अक्षर-सकार किया जाकर निष्काशन कार्यवाही वन विभाग द्वारा सम्पन्न की गई।

मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार की जाकर हस्ताक्षर किये गये।


(असहिद चंयरी)
SMF I


(वीरेड कुमाँ)
SMF II
कार्यालय सहायक वन अधिकारी, रुपवाण


NCT
08/05/24


शालाग्राम सरकार

व्यापारिक - सहायक स्वामि अलिप्तता रूपवास अस्पष्ट

मौला दिवोर्

आज दिनांक 5/05/2024 को व्यापारिक पत्र की पालग में निकल ग्राह वंशी पहाड फल तहसील रूपवास पिला अस्पष्ट के ब्लॉक A व B स्वतंत्र जेठो के आफ-पाम चेकिंग की गई कोई वाहन अर्केष स्वतंत्र/निर्गमन में लिफ्ट नहीं पाया गया। तत्पश्चात् संवेदनशील अर्केष स्वतंत्र / निर्गमन जेठ छद्मता मोड से सिधनिय सिंकेफ्री जॉट डायवर्टेड थ्रूने जेठ व वन जेठो का मोका डेखा गया। जगह-जगह करि लपले पर विशानता पाये गये जेठो पर कोई वाहन अर्केष नहीं पाये गये। उमर जेठ अर्केष संवेदनशील जेठ है जेठ चोरी-दुपे अर्केष स्वतंत्र / निर्गमन किया जाता है तथा जानकारी करने पर जानकारी में आया की विभागीय व सचिवी वाहानो की गैरगहानी हेतु मुख्यवील धुमते है व जेठ U.P बोर्ड के नजदीक है तथा मुख्यवील अपयधी सुवर्ति के है इतलिये उमर जेठ के अर्केष स्वतंत्र / निर्गमन को बन्द करवाने वास्ते RAC चौकी ल्यापिर कयाने का गम कयाने लु चौकी ल्यापिर कयाना जनेर होगा


(बीटिउकमार)
MFI


(भीमकिंदी चौकी)
SMFI

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांक :-सखअ/रूप/भरत/एनजीटी 96/23/2024/726

दिनांक :- 17.05.2024

State Level Environment Impact,
Assessment Authority, Rajasthan,
Room No. 11 Aravalli Bhawan,
Jhalana Institutional Area Jaipur

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 96/23 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर में खनन पट्टाधारियों के सम्बन्ध में आप द्वारा जारी की गई पर्यावरण अनुमति (EC) की पालना चैक/सत्यापित करने के सम्बन्ध में।
प्रसंग:- आप द्वारा ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास की जारी की गई पर्यावरण अनुमति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 18.05.2021 से बंशीपहाडपुर क्षेत्र तहसील रूपवास जिला भरतपुर का ई.एस.जेड.डी-नोटिफाईड किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.06.2021 से बंशीपहाडपुर क्षेत्र के ब्लॉक ए व बी के डायवर्जन की प्रथम स्तरीय अनुमति एवं दिनांक 11.03.2022 से द्वितीय स्तरीय अनुमति जारी की गई। बंशीपहाडपुर क्षेत्र के वन ब्लॉक ए व बी क्षेत्रफल 398.0085 हैक्टेयर में 41 प्लॉट डेलिनिवेट किये गये, उक्त 41 प्लॉटों का ई-ऑक्शन किया गया जिसमें कुल बोली 163.94 करोड़ रुपये प्राप्त हुई। उक्त प्लॉटों में पर्यावरण विभाग/स्टेट एनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथोरिटी (SEIAA) से पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस कार्यालय प्रस्तुत की गई है।

जिसके क्रम में 40 खनन पट्टाधारियों द्वारा संविदा निष्पादन करवा लिया गया है तथा 25 प्लॉटों में मौके पर खनन कार्य चालू है। पर्यावरण अनुमति में वर्णित शर्तों की पालना करने के लिए सभी खनन पट्टाधारी बाध्य है। जिस हेतु दिनांक 25.04.2024 व 29.04.2024 से सभी खनन पट्टाधारियों को कार्यालय स्तर से वार्षिक पालना करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिसकी पालना में 20 खनन पट्टाधारियों द्वारा कार्यालय में दिनांक 16.05.2024 को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है (प्रति संलग्न)। उक्त पालना रिपोर्ट में पट्टाधारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रति 6 माह पर्यावरण अनुमति की पालना रिपोर्ट लगातार रूप से आपके कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये प्रति केन्द्र व राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 96/2023 यादराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.03.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रीमान् जिला कलेक्टर, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2024 को बैठक आयोजित की गई। उक्त प्रकरण मुख्यतः ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास में खनिज सैण्डस्टोन के अवैध खनन व स्वीकृत खनन पट्टों में पर्यावरण अनुमति की पालना से सम्बन्धित है। जिसमें आपको भी माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया गया है तथा उक्त प्रकरण में अग्रिम तिथि 11.07.2024 नियत है।

RajKaj Ref
7279995



Signature valid

Digitally signed by Manoj Kumar Tanwar
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.05.17 14:03:03 IST
Reason: Approved

अतः निवेदन है कि प्रकरण में आपके स्तर से ग्राम बंशीपहाडपुर तहसील रूपवास के 20 खनन पट्टाधारियों के सम्बन्ध में जारी की गई पर्यावरण अनुमति की पालना रिपोर्ट को चैक/सत्यापित कराने का श्रम करावें। शेष रहे खनन पट्टों की पालना रिपोर्ट भी प्राप्त होते ही आपको अलग से भिजवा दी जायेगी।
कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(मनोज कुमार तंवर)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांक :-सखअ/रूप/भरत/एनजीटी 96/23/2024/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, भरतपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर।
3. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर।
4. श्रीमान् खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, भरतपुर।
5. श्रीमान् क्षेत्रीय अधिकारी, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर।

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर

RajKaj Ref
7279995

Signature valid

Digitally signed by Manoj Kumar Tanwar
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2024.05.17 14:03:03 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
संयुक्त जल विभाग

आज दिनांक 8/06/2024 को निम्न-व्यक्तिगत-क्षेत्र
जिला जलेश्वर भदरपुर के जोड़ण इकाई राजस्थान/12/11(2)
2024/47 दिनांक 13.04.2024 की-पालना में ज्ञानीय गायतप
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (लेन्डल जेन) भोपाल में वर्क
प्रकरण संख्या 96/2023 (2) मादराग बनाम राजस्थान सरकार
में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 की पालना में ग्राम
वशेरीपहाड़पुर तहसील रूपवास जिला भदरपुर में अवैध खनन
निर्माण की जाँच बाबत मौके पर पहुँचें। उक्त क्षेत्र में -
रैनजि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में 41 प्लॉट 4 व 5
प्लॉट में कुल क्षेत्रफल 398.0085 हेक्टेयर के डेलीविजरी
किये गये थे जो ^{अवैध} ~~संयुक्त~~ है। मौके पर सर्वेक्षण प्लॉट -
संख्या 9 को डेखा गया तो उनके द्वारा मन्वे की डायरेक्ट
आंशिक रूप से वनभूमि में किया जाना पाया गया तथा
मौके पर डायरेक्ट हेतु प्रयोग में लिये जा रहे हैं लड
उम्पर RJ/46P/214 है। तथा लड हरिडा क्वेन रजिस्ट्रेशन
इंजन नम्बर E 3676768 को मौके पर वन विभाग द्वारा
फोरेस्टर लड में अब्दुल पुरानिष थाना रुडावल की -
सहायता से वनपाल आका वशेरीपहाड़पुर ले जाया गया
तथा वन विभाग द्वारा नियमनुसार कार्यवाही की गई।
तत्पश्चात् संयुक्त टीम द्वारा ग्राम वशेरीपहाड़पुर के
वन क्षेत्र को डेखा गया तो पाया की वनभूमि में
रैनजि लेन्डल जेन के अवैध खनन के निशानाह पाये
गये तथा अधिकारी शान्ते पर अवैध खनन कार्य को शर
केल डाय। वनोक्त प्रमाणी से पिये के अन्दर जाने के

[Handwritten signature]
SME, Bhanalpur
19/6/2024

[Handwritten signature]
R.O. Bhanalpur
19/6/2024

[Handwritten signature]
SME, Bhanalpur

[Handwritten signature]
SME, Bhanalpur

19/6/2024
SME, Bhanalpur

[Handwritten signature]
SME, Bhanalpur

बालो को बलाक कर डिया गया है जिससे राजकीय
 वलन अधिकारी रगनन जौड / पिरो के अन्दर नहीं जा
 सके। जौड पर वन क्षेत्र में एक अवैध खनन पिट
 में राजा खनन के निजानत पाये गये। जौड पर
 नोर्न जशीन / ओजार / ध्याई नहीं पाये गये।

जौड पर उपस्थित जेडियम वन अधिकारी
 जंती पहाड पुर द्वारा बताया गया की उनके द्वारा बताया
 गया की उनके द्वारा वन क्षेत्र में निरन्तर गश्त कर
 पैकिंग की जाती है तथा दिनांक 25/5/2024 में एक
 रेक्टर एवं दिनांक 28/5/24 में एक रेक्टर एवं एक
 कम्प्रेसर उम्त वन क्षेत्र ले जबर कर वन विभाग के
 निपजो के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। साथ ही बताया
 की उम्त वन क्षेत्र काफी विस्तृत है। तथा स्थानीय व्यक्तियों
 द्वारा वज्री में छोरी डूबे संगठित रूप में अवैध खनन
 किया जाता है जिन पर लगभग लगभग पर कार्रवाई की
 जाती है उम्त क्षेत्र अति संवेदनशील है। जिससे पूर्व में
 भी अवैध खनन की रोकथाम की कार्रवाई करते साथ
 खान विभाग व वन विभाग के कर्मचारी के साथ
 गारपीट व सख्तारी बाहन को शक्तिशालत करने की धारणाए
 हो चुकी है। उम्त क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम
 वाकत RAC की वयानीयन स्थानीय रूप ले नियोजित किया
 जाना उचित होगा।

09.06.24
 SMF महाराज जीक
 P/O
 Kanyana

SMF
 (अभिने)
 P/O AMB Bharpur
 अंरु वंलर
 (क.र.)

महाराज जीक
 AMB Bharpur
 08/06/24

08/06/24
 SME, Bharpur
 (श्रीशंकर जीक)

क
 D/O Bharpur

राजस्थान सरकार
कार्यालय. सहायक खाने. अधिकारी रूपवास अष्टपुर
नौका रिपोर्ट

आज दिनांक 12/06/2024 को कार्यालय पर सुप्रसिद्धि
रूप। अर्थात् अवैध खनन 12024/1167 दिनांक 11.06.24
की पानना में ग्राम पंचायत निरीक्षण व पराडफ्ट में अवैध
खनन बन्द करवाने वास्तु के रूप में ग्राम पुलिस जायदा
धाना रुझाल व वनपाल नाका वरीयवहाडफ्ट के जेड
में अवैध खनन की गई व वन विभाग। वन जेड से
डापलर्जव हेतु प्रस्तावित वन जेड 189.06 हेक्टेयर जेड
वे RSMML जपफ्ट राजस्थान के लिये रिजर्व जेड में
निश्चित अवैध खनन स्थलों का मौका देखा गया
मौके पर कोई मशीनरी/आजार/व्याप्त नहीं पाये गये
एव कई जगह जेड में अवैध खनन के निशानातः
खनिज निगम के प्रमुख डिप्टी जेनेरल वाले कार्डो के
परिपट्टन के निशानातः भी पाये गये। मौके पर डम्पिग
वनपाल द्वारा बताया गया की पूर्व दिनों में वन विभाग
द्वारा कार्यालयी की गई व मौके पर जानकारी करने पर
पाया गया की अवैध खनन करती औ द्वारा शान्तो में
जगह-जगह गुरववीर बेठिये हुए ह जिससे निगम
को दानो की छुचना पूर्व में ही मिल जाती है
जिससे अवैध खनन में प्रमुख वन हाइड्रा, डम्प, मशीन
को निकालकर आस-पास गावों या U.P कोर्ट
नजदिक होने व U.P की ओर गंगा ले जाते हैं। एव

[Signature]

वन उन्त क्षेत्र में अवैध खनन बंदगाश प्रवृत्ति के
 लोगों द्वारा करवाया जाता है। अधिकांश तब अपराधिक
 प्रवृत्ति के होने से गैर आदि क्षेत्रों में है तथा
 आपत्त विवाद के कारण स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनन
 कार्यों के नाम / पते लगाने से अनभिज्ञता जाहिर
 करते हैं। वन क्षेत्र के कार्यवर्ष 1986-87 में
 189.06 हेक्टेयर में वन क्षेत्र के A वन क्षेत्र में R.A.C
 की चौकी तैनात होने से वन क्षेत्र क्लॉक A में अवैध
 खनन रुका हुआ है तथा वन क्षेत्र क्लॉक B में अवैध
 खनन की पूर्णतया अंकुश लगाने हेतु वन खण्ड B
 में भी R.A.C चौकी व वरिष्ठ पदाधिकारी आवश्यक हैं।

[Signature]
 (सहायक सचिव)
 12/06/2024

[Signature]
 12/06/2024
 सहायक सचिव
 S.M.F.

[Signature]
 S.M.F.
 (सी.एम.ए.)

605
 12/6/2024

मौका जांच रिपोर्ट

आज दिनांक 01/07/2024 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
रूपवास, पुलिस उप अधीक्षक रूपवास, सहायक खानि इन्स्पेक्टर
रूपवास मग एटाक व पुलिस जांच के साथ निकट ग्राम
वंशी परबपुर तहसील रूपवाल जिला भरतपुर के व महलपुर
पुरा के वन क्षेत्र A व उसके आस पास अर्बेय खनन
शिकायत की जांच हेतु मौकिक निरीक्षण / चेकिंग की
गई व क्षेत्र में स्थित अर्बेय खनन स्थलों को देखा गया
मौके पर उक्त क्षेत्र में कोई वाहन / मशीनरी नहीं पायी व
अर्बेय खनन करते हुए कोई व्यक्ति नहीं पाया। अर्बेय
खनन बन्द पाया। मौके पर खनन पहा संख्या 33/2022
पहाचानी कौजदार कुन्दक्सन भरतपुर खनिज सैण्डव्हेन में
खनन स्थल को चेक किया गया तो पाया कि उक्त खनन
पिटस खनन पहा क्षेत्र में लगे हुए हैं। अन्य खनन स्थल
पिटो को चेक किया गया तो उक्त खनन पिट खनन पहा
संख्या 34/2022 जो कि श्री ओमप्रकाश सिंह के पास में
स्वीकृत है में होना पाया गया। वर्तमान में वंशी परबपुर
वन क्षेत्र में वन प्रत्यापन होने के बाद Block A व
उ में कुल 41 खनन पहे e- नीलामी के जरिये आंशिक
किये गये हैं जिनमें खनन पहाधारियों द्वारा खनन कार्य
किया जा रहा है। मौके पर खनन पहा के अतिरिक्त
वन क्षेत्र में पुराने खनन पिट लगे हुए पाये गये।

4/2/2024

जिनमे वर्तमान में खनन कार्य पूर्णतः बन्द है मॉके
पर खनन पर 142मा 80/80 जो वर्तमान सिद्धि के
स्वीकृत है में अर्द्ध खनन व निर्माण की रोकथाम
के अर्थात् RAC की धीकी स्थापित की गई है
जिससे अर्द्ध खनन पर अंकुश लगा हुआ है ।

मॉके पर मॉका जांच रिपोर्ट बनाई गई
एवं हस्ताक्षर किये गये ।

W/E
SMF
(मीनिंग)

Sharma
SDO Purbas
01/07/24

Amal Kumar
01/07/24